राजस्थान राज्य पथं परिवहन निगम

कार्यालय मुख्य प्रबन्धक, केन्द्रीय बस स्टैण्ड,जयपुर।

क्रमांक :- सी.बी.एस / मु.प्र. / वित्त / केन्टिन / 24 /३ १५५

दिनांक:- ना-10-24

निविदा-सूचना

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, केन्द्रीय बस स्टैण्ड सिन्धी कैम्प जयपुर के अधिनस्थ उप बस स्टैण्डों झालाना, चाकसू, दूदू बस स्टैण्डों पर स्थित केन्टीन/स्टाल/रिक्त स्थान हेतु अस्थाई रूप से लाईसेंसी नियुक्त किये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की जानी है जिसका विवरण निम्नप्रकार से है:-

क्र. प्लेटफार्य नम्बर	स्टाल प्रकृति	साईज वर्ग फीट	धरोहर राशि	अनुमानित वार्षिक आय,जी.
ਚੱ.		yıc -	All Al	एस.टी. अतिरिक्त
		407/40	10,000	1,00,000
01 झालाना बस स्टैण्ड	मोबाईल, मोबाइल एसेसरीज, रिचार्ज कूपन एवं गिफ्ट आईटम, पैक्ड	10X10	10,000	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1600	खाद्य पदार्थ एवं पैड पेय पदार्थ।	00 200	10,000	3,00,000
02 झालाना बस स्टैण्ड	भोजनालय एवं फास्ट फूड	20 X20	10,000	
03 चाकसू बस	केन्टीन,चाय-कॉफी,कचौरी,समौसा	10X08	10,000	1,00,000
प्टैण्ड 04 दूदू बस स्टैण्ड	नाश्ता स्टॉल ज्यूस, शेक, मोकटेल लस्सी,	10X10	5,000	1,00,000
4,4,4,1,4,0	आईसक्रीम, जलजीरा, नीबू पानी, गजक रेवड़ी व अन्य पेय पदार्थ।			
05 दूदू बस स्टैण्ड	फोटो स्टेट, मोबाइल एसेसरीज,	10 X10	5,000	1,00,000
22 22	खिलोने, इलेक्ट्रोनिक आईटम एवम्			
	मोबाइल रिचार्ज।	1		

निविदा प्रपत्र एवम् शर्तो के लिए निर्धारित राशि रू. 200 / — (जी.एस.टी. अतिरिक्त) नकद जमा करवाकर सी.बी.एस आगार जयपुर कार्यालय से कार्यालय समय में प्राप्त कर सकते है। इच्छुक व्यक्ति / संस्था निविदा प्रपत्र दिनांक 21.10.2024 को समय सांय 05.00 बजे तक प्राप्त कर सकते है। निविदा प्रस्ताव दिनांक 22.10.2024 को समय दोपहर 02.00 बजे तक प्राप्त की जावेगी एवम् निविदा उसी दिन समय दोपहर 03.00 बजे उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

निवदा प्रपत्र के साथ निर्धारित धरोहर राशि नकद अथवा डी.डी. / बैकर्स चैक CM RSRTC CBS JAIPUR के नाम से जमा करवानी होगी। धरोहर राशि के बिना प्रस्ताव मान्य नहीं होगा। निवदा के सम्बन्ध में अधिक जानकारी हेतु कार्यालय समय में सम्पर्क करें। प्रकाशित निविदा को बिना पूर्व सूचना के अधिक जानकारी हेतु कार्यालय समय में सम्पर्क करें। प्रकाशित निविदा को बिना पूर्व सूचना के अधिक या पूर्ण रूप से संशोधित / निरस्त किया जा सकता है। किसी भी प्रस्ताव को बिना कारण बताये अस्वीकार किया जा सकता है। निविदा की वैधता अवधि 90 दिवस होगी।

(राकेश राय) मुख्य प्रबन्धक सी.बी.एस आगार,जयपुर।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,सी.बी.एस आगार,जयपुर।

(यह प्रपत्र अहस्तानतरणीय है तथा जिसके पक्ष में यह जारी किया गया जावें, उसी के प्रयोजनार्थ हैं) केन्द्रीय बस स्टैण्ड सिंधी कैम्प जयपुर के अधिनस्थ (झालाना, चाकस,दूदू) बस स्टैण्डों पर केन्टीन/स्टाल, रिक्त स्थान आवंटन हेतु अस्थाई रूप से लाईसेन्सधारी नियुक्त करने के सम्बन्ध में।

निविदा—प्रपत्र					
नि	विदा प्रप	त्र संख्याः- एफ/मु.प्र./24/		दिनांक :	
अध	सरे	्रः – द		./—(GST, अतिरिक्त) रूपये (GST, अतिरिक्त)	
दि	कद / र नांक विदा रि	सीद संख्या :- :- देनांक :-			
	01	फर्म / व्यक्ति का नाम व पूर्ण पता	\ <u>\</u>		
1		टेलीफोन नम्बर/मोबाइल नं.	r,	9 10	
1		कार्यालय	:-		
	02	निवास	:		
	03	टेलेक्स / फैक्स नम्बर	:-		
	C4	व्यावसायिक अनुभव व उसका विवरण	:-		
	05	धरोहर राशि	:- '		
		धरोहर राशि का निगम कोष में राशि जमा	<u>:</u> —		
	06	रसीद संख्या / ड्राफ्ट / बैकर्स चैक नम्बर			
		दिनांक	:		
		निगम में अन्य स्टैण्ड पर पूर्व में स्टाल/बूथ क			
	0 7	आवंटन हुआ है तो उसका पूर्ण विवरण।			
		निविदादाता का जिस बैंक में खाता है उसका नाम		,	
	08	बैक में खाता नम्बर	:-		
		अन्य आवश्यक विवरणः— पहचान पत्र, पेन	:		
		नम्बर, एवम् एक फोटो खुली निविदा प्रपत्र के	1	:	
	09	साथ संलग्न करनी है। इसके बिना फार्म			
		क्तीकर नहीं किया जावेगा।			

हस्ताक्षर निविदादाता मय पद/हैसियत/मोहर सहित

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,जयपुर।

स्टाल आवंटन / संचालन की निविदा शर्ते निम्न है:-

1. निगम परिसर में दुकान/स्टाल/बूथ/खाली स्थान अस्थाई लाईसेंस पर प्रथमतः एक वर्ष के लिये दी जावेगी। एक वर्ष की अविध वृद्धि करते हुए नवीनीकरण किया जा सकेगा। जिन स्टालों की मासिक लाईसेंस फीस 50,000/— रूपये से कम है, उन स्टालों का लाईसेंस नवीनीकरण अधिकतम तीन वर्ष तक व जिन स्टालों के मासिक लाईसेंस फीस 50,000/— रूपये अथवा उससे अधिक होने पर उन स्टालों का लाईसेंस नवीनीकरण अधिकतम पाँच वर्ष तक की अविध के लिए किया जा सकेगा। अग्रिम वर्ष हेतु अनुबन्ध अविध नवीनीकरण करने पर वृद्धि हुई लाईसेंस फीस के आधार पर सुरक्षा राशि भी 03 माह की लाईसेंस फीस के बराबर पुनः निर्धारित कर सुरक्षा राशि की अन्तर राशि निगम कोष में जमा करानी होगी। उक्त लाईसेंस अविध समाप्ति के दो माह पूर्व पुनः खुली की अविध समाप्ति कर नये उच्चतम निविदादाता को दिशा निर्देशानुसार समय पर स्टाल आवंटन की कार्यवाही की जा सकेगी। अनुज्ञा की अविध समाप्ति पर लाईसेन्सी द्वारा स्वतः ही बिना सूचना/नोटिस प्राप्त हुए निगम को दुकान/स्टाल/बूथ खाली कर कब्जा सम्भलाना पड़ेगा। लाईसेन्सी द्वारा किसी न्यायालय में निगम के विरुद्ध वाद दायर नहीं किया जा सकेगा।

2. लाईसेन्स पर दुकान / स्टाल / बूथ / खाली स्थान लेने हेतु लाईसेन्सी को पांच सौ रूपए के भारतीय गैर न्यायायिक स्टाम्प पर निर्धारित शर्तों के अनुरूप लिखित में अनुबन्ध करना होगा।

3. लाईसेन्स पर दी गई दुकान/स्टाल/बूथ पर व्यवसाय करने हेतु केवल नीचे दी गई सामग्री का ही बेचान किया जा सकेगा इसके अतिरिक्त अन्य कोई सामान का बेचान नही किया जायेगा :-नोट:- जिस स्टॉल हेतु आवेदन किया जा रहा है उसके अनुरूप स्वीकृत साम्रगी का ही इन्द्राज करे।

	1.
	2.
4.	निविदा पत्र के साथ धरोहर राशि/- रूपये (अक्षरे रूपये मात्र) का बैक ड्राफ्ट/बैकर्स
	चैक / नकद जमाओं की रसीद संलग्न करनी होगी। एवं 50,000 या उससे अधिक की धरोहर राशि बैक ड्राफ्ट / बैकर्स चैक के
	हारा ही मान्य होगी। लाईसेन्स आवंटित होने पर लाईसेन्सी को दस दिवस में तीन माह की लाईसेन्स फीस के बराबर सुरक्षा
	्राशि की डी.डी / बैंकस चैंक / नगद निगम कोष में जमा करानी होगी। उक्त धरोहर एवम सुरक्षा राशि बिना ब्याज के लाईसेन्स
	अवधि समाप्ति तक निगम कोष में जमा रहेगी। लाईसेन्सी द्वारा लाईसेन्स जारी होने के तीस दिवस के अन्दर व्यवसाय आरम्भ
	नहीं करने पर धरोहर राशि एवम् सुरक्षा राशि जब्त कर लाईसेन्स रद्द कर दिया जावेगा व द्वितीय उच्चतम निविदादाता को
	अथवा पुनः निविदा कर लाईसेन्स आवंटन किया जा सकेगा।
5.	आवंटन के पश्चात सफल निविदादाता को आवंटन पत्र में निर्धारित समयावधि में सरक्षा राशि अनवन्ध पत्र एवं 12 माह के

अग्रिम पोस्ट डेटेड चैक इस कार्यालय में जमा करवायेंगे अन्यथा संचालन की अनुमित नहीं दी जायेगी साथ ही आवटन निरस्त

कर जमा धरोहर राशि जप्त कर ली जायेगी।

6. लाईसेंसधारी, स्टॉल आवटन के पश्चात स्वयं के खर्चे पर आवंटित स्थान पर सुव्यस्थित रूप से कियोस्क का निर्माण करेगा। निर्माण पूर्व स्टाल निर्माण के प्रारूप का अनुमोदन करवाना लाईसेन्सधारी के लिए अनिवार्य होगा। यदि स्टाल बनी हुयी है तो उसे व्यवस्थित करेगा, लाईसेन्सधारी का दायित्व होगा कि आवंटित स्टॉल को इस प्रकार से व्यवस्थित कर संचालित करें, जिससे प्लेटफार्म की सुन्दरता बनी रही। इस कार्य हेतु किये गए व्यय का निगम द्वारा किसी भी प्रकार से पुनःभरण नहीं किया जावेगा। स्टॉल को सुव्यवस्थित करने के पश्चात् ही व्यवसाय प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जावेगी।

7. निगम को अनुबन्ध समाप्ति दिनांक से पूर्व आवंटित दुकान/स्टाल/खाली स्थान की आवश्यकता होने पर लाईसेन्सी को 24 घन्टे के भीतर खयं के खर्चे पर पुरानी जगह से सामान उठाकर वैकल्पिक अन्य नये स्थान पर ले जावेगा। वैकल्पिक अन्य स्थान की उपलब्धता एवम् उसकी व्यवसायिक उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए उसकी नवीन लाईसेन्स दरों के प्रस्ताव आगार रतरीय समिति द्वारा किया जावेगा तथा नये स्थान पर आवंटन के लिए पूर्व ऐसे लाईसेन्सी को प्राथमिकता दी जावेगी। यदि नवीन लाईसेन्सी शुल्क/दरों के लिए पूर्व लाईसेन्सी सहमत न हो तो ऐसी दशा में उसकी स्थान परिर्वतन के आधार पर प्राथमिकता समाप्त कर दी जावेगी एवम् नये स्थान का लाईसेन्स भी निर्धारित प्रक्रिया से निवदायें आमन्त्रित कर आवंटन किया जावेगा। ऐसी स्थिति में यदि लाईसेन्सी उचित समझे तो एक माह का नोटिस देकर बिना किसी उत्तरदायित्व के लाईसेन्स समाप्त करा सकेगा।

8. लाईसेन्सी मासिक लाईसेन्स फीस के प्रतिवर्ष (वर्ष आवंटन दिनांक से माना जावेगा) 12 अग्रिम पोस्ट डेटेड़ चैक जो प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को देय होगे,देगा। माह की 07 तारीख तक लाईसेन्स फीस निगम कोष में जमा/सुनिश्चित नहीं कराने पर अथवा अनुवन्ध की किसी भी शर्ते का पालन करने में असमर्थ रहने पर आगारीय समिति 48 घन्टे का नोटिस जारी कर लाईसेन्स निरस्त कर सकेगी। लाईसेन्स निरस्त करने/वापिस किये जाने पर लाईसेन्सी निगम परिसर को 24 घन्टे में खाली कर उसका कब्जा निगम के सक्षम अधिकारी को देगा। ऐसा नहीं किये जाने पर निगम के सक्षम अधिकारी दुकान में प्रवेश कर दुकान/स्टाल का कब्जा ले लेगा और स्टाल के ताला लगा दिया जावेगा।

9. लाईसेंसी स्वयं के खर्चे पर सम्बन्धित विभाग के बिजली व पानी का कनेक्शन प्राप्त करेगा तथा उसका स्वयं भुगतान वहन करेगा। अनुवन्ध समाप्त होने पर आगारीय समिति सम्बन्धित विभाग को कनेक्शन बन्द करने के लिए सूचित करेगा।

10. आवंटित दुकान/खाली रथान पर लाईसेन्सी मादक पदार्थ जैसे शराब, बीयर, अफीम, गांजा, चरस व सरकार द्वारा प्रतिबन्धित पदार्थ न तो रखेगा न ही बेचेगा।

11. लाईसेन्सी अपना व्यवसाय आवंटित स्थान सीमा में ही कर सकेगा।
12. लाईसेन्सी विक्रय किये जाने वाले पदार्थों की मूल्य सूची आगारीय समिति से अनुमोदन कराकर दुकानदार/स्टाल पर लगायेगा.
जिसे यात्री सुगमता से पढ़ सके। लाईसेन्सी आवंटित दुकान/स्टाल में किसी तरह का परिर्वतन/मरम्मत नहीं करा सकेगा।

निगम द्वारा लाईसेन्सी को 24 घन्टे का लिखित नोटिस देकर लाईसेन्स को निरस्त करने का अधिकार होगा जिसके लिए

कारण का उल्लेख किया जाना आवश्यक नहीं होगा।

14. यदि लाईसेन्सी स्वयं अपना लाईसेन्स चालू नही रखना चाहे तो उसे कम से कम तीन माह पूर्व उसकी सूचना आगार प्रभारी को प्रस्तुत करनी होगी। तीन माह का नोटिस दिये बिना व्यवसाय बन्द करने पर उसकी पूर्व में जमा सुरक्षा एवम् धरोहर राशि जन्त कर ली जावेगी।

15. दुकान / स्टाल / बूथ का लिया गया लाईसेन्स अहस्तान्तरित योग्य होगा व सबलेट नहीं किया जा सकेगा।

16. अनुबंध के क्रियान्वयन शर्ती एवं अनुबंध के निर्विचन के संबंध में दोनों पक्षों के बीच यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो मामले के निपटारे के लिये परिवहन निगम के अध्यक्ष एकमात्र पंच निर्णायक होंगे। जिनका निर्णय अंतिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा। कोई भी पक्ष मामले / विवाद को पंच निर्णय के लिए प्रस्तुत किये बिना एवं उस पर निर्णय / पंचाट पारित हुए बिना कोई वाद किसी भी न्यायालय में नहीं ले जा सकेंगे। उक्त दोनों पक्ष यह जानते है कि अध्यक्ष निगम के अधिकारी है एवं उनको ही एकल पंच निर्णायक के लिए सहमति व्यक्त करते है। पंच निर्णायक / न्यायालय का कार्य क्षेत्र / कार्य स्थल जयपुर होगा।

17. लाईसेन्सी के विरुद्ध किसी भी तरह की बकाया राशि होने की स्थिति में उसकी जमा सुरक्षा राशि में से राशि समायोजित कर ली जावेगी, जो लाईसेन्सी द्वारा दो दिवस में बैक ड्राफ्ट द्वारा पुनः निगम कोष में जमा करानी होगी। ऐसे नहीं करने पर

आगारीय समिति लाईसेन्स निरस्त कर जमा राशि जब्त कर अन्य योग्य फर्म को लाईसेन्स दे दिया जावेगा।

लाईसेन्सी द्वारा निगम से समय-समय पर जारी आदेश/शर्तों का पालन किया जावेगा अन्यथ आगारीय कमेटी को लाईसेन्स निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। इससे होने वाली हानि के लिए लाईसेन्सी खय जिम्मेदार होगा।

द्कान/रटाल/बूथ पर पूर्ण गुणवत्ता पदार्थों का ही विक्रय किया जायेगा।

20. लाईसेन्सी द्वारा किये जा रहे व्यवसाय पर सरकार द्वारा कोई कर आदि का निर्धारण किया जाता है तो वह लाईसेन्सी द्वारा सीधे सम्बन्धित विभाग में जमा कराया जावेगा।

यात्रियों की सुविधा के मध्यनजर रखते हुए निगम को पूर्ण अधिकार होगा कि लाईसेन्सधारी के अलावा उसी आईटम का लाईसेन्स उसी प्लेटफार्म पर अन्य फर्म को जारी कर सकेगा। लाईसेन्सधारी को इस बारे में किसी तरह का एतराज उठाने का अधिकार नहीं होगा।

यदि निविदादाता के निविदा प्रस्ताव स्वीकार कर लिये जाते है तो निविदादाता को लाईसेन्स प्राप्त करने सें पूर्व निम्नलिखित

प्रपत्र मुख्य प्रबन्धक के कार्यालय में प्रस्तुत करने होगें।

निविदादाता के नाम पर जो भी चल एवम् अचल सम्पत्ति है उनके प्रपत्रों की प्रमाणित छाया-प्रति अथवा स्वयं के नाम पर कोई चल व अचल सम्पत्ति नहीं है तो उसके गारन्टर की आय एवम् अचल सम्पत्ति के प्रपत्रों की प्रमाणित छाया प्रति।

निविदादाता के नाम पते के दस्तावेज की प्रमाणित प्रति (पुष्टि में मतदाता परिचय पत्र/वर्तमान ड्राईविंग लाईसेन्स की प्रमाणित

प्रति,पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनकम टैक्स रिर्टन की प्रमाणित छायाप्रति)

निविदादाता अथवा निविदादाता के गारन्टर को 100/- रूपए के भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प पर यह शपथ पत्र भी देना होगा की जब तक वह निगम का लाईसेन्सी रहेगा तब तक बिना निगम अनुमति के वह अपनी चल अचल सम्पत्ति का विक्रय नहीं करेगा।

यह शपथ पत्र नोटरी पब्लिक ओथोरिटी द्वारा सत्यापित होगा।

23. निविदा-प्रस्ताव सीलबन्द लिफाफे में प्रेषित किये जावेंगें।

24 निविदा प्रस्ताव सरल एवम् शुद्ध भाषा में होंगें तथा किसी प्रकार की काट-छांट ना हो। प्रस्ताव पर संस्थान के मालिक / अधिकृत व्यक्ति के स्पष्ट हस्ताक्षर होने चाहिए तथा यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि हस्ताक्षरकर्ता मालिक है या पार्टनर / अधिकृत व्यक्ति अपना पद व हैसियत भी लिखें।

25. निविदादाता द्वारा दिये गये कोई भी सशर्त प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार नहीं होंगे।

यदि किसी भी संस्थान/व्यक्ति फर्म के विरुद्ध निगम की राशि बकाया/विचाराधीन है तो उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार निगम को होगा।

27. रॉलग्न धोषणा-पत्र को भरकर निविदा प्रस्ताव प्रपत्र के साथ संलग्न करें।

निविदा में प्राप्त दरों की स्वीकृति / अस्वीकृत करने का तथा दर दाताओं के प्रस्ताव को निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार आगारीय समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

कंन्द्र/राज्य सरकार के कर्मचारी, केन्द्र एवम् राज्य सरकार के उपक्रमों के कर्मचारियों एवम् राजस्थान परिवहन निगम के कर्मचारी एवम उनके आश्रित पारिवारिक सदस्यों को स्टैण्ड पर स्टाल का आवंटन नहीं किया जा सकेगा।

30. लाईसेन्सधारी उसके द्वारा देय लाईसेन्स फीस के अलावा जी.एस.टी एवम् उन समस्त करों को तथा अन्य फीस को जो भी किसी सरकारी विभाग अथवा स्थानीय निकाय को देय हो आदि का भुगतान नियमानुसार समय पर करेगा।

31. पूर्व जिसके पक्ष में लाईसेन्स जारीं किया गयां है उसका यह दायित्व होगा कि लाईसेन्स फीस का भुगतान उस दिनांक से करें जिस दिनाक को उसका प्रस्ताव स्वीकार किया गया है तथा लाईसेन्स फीस जमा नहीं करवाने पर प्रतिदिन 50/-रूपए अथवा चैक राशि का 1 प्रतिशत जो भी अधिक हो की दर से शास्ति राशि जमा करवानी होगी।

सिन्धी कैंग्य परिसर में निगम प्रशासन को स्थान की आवश्यकता होने पर लाईसेन्सी को 24 घंटे का लिखित नोटिस देकर रथान खाली करवाते हुए लाईसेन्स निरस्त किया जा सकता है एवम् इसके लिए लाईसेन्सी को किसी भी न्यायालय में किसी

भी प्रकार का वाद दायर करने का अधिकार नहीं होगा।

33. लाईसेंसधारी को स्वयं के व्यय पर 2 सी.सी.टी.वी. कैमरे (विथ साउण्ड रिकार्डर) प्रथम कैश काउन्टर व दुसरा बाहर रास्ते की ओर लगा हुआ हो, जिसका बैकअप एक माह तक रक्षित रखना अनिवार्य होगा। 34. जी.एस.टी. इनपुट हेतु अपना जी.एस.टी. नम्बर आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाना होगा अन्यथा जी.एस.टी. इनपुट का लाभ

नहीं मिलने पर निविदादाता खंय उत्तरदायी होगा। प्रत्येक माह विजली का बिल जमा कराना अनिवार्य होगा। मासिक रूप से बिजली का बिल जमा नहीं कराये जाने पर कनेक्शन विच्छेद कर दिया जायेगा। पुनः कनेक्शन जुडवाने पर 500/-रूपये शास्ति राशि वसूल की जावेगी। निर्धारित अवधी में बिल जमा नहीं कराने के दो प्रकरण होने पर अनुबन्ध समाप्त कर दिया जावेगा। जिसकी सम्पुर्ण जिम्मेदारी लाईसेंसी की होगी। निविदादाता द्वारा निविदा फार्म पूर्ण व साफ साफ भरा होना चाहिए। अपूर्ण/काट छाट वाला निविदा फार्म किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जावेगा तथा फार्म निरस्त कर दिया जावेगा।

निविदादाता को निविदा फार्म के लिफाफे पर क्रम संख्या केन्टीन/स्टाल आदि का नाम/स्थान एवं निविदादाता का नाम/पता अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा। अन्यथा उस निविदा फार्म को स्वीकार नही किया जायेगा।

िविदा फार्म जिस व्यक्ति/संस्थान के नाम होगा निविदा खोलते समय उस व्यक्ति/फर्म या फर्म के किसी कार्यरत कर्मचारी

का उपरिथत होना अनिवार्य होगा। अन्यथा उस निविदा फार्म को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

किसी शर्त का उल्लंघन करने पर बिना पूर्व सूचना के 24 घण्टे का नोटिस देकर दुकान का लाईसेंस निरस्त कर दिया जायेगा एवम् इसके लिए लाईसेन्सी को किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार का वाद दायर करने का अधिकार नहीं होगा।

मैने उपरोक्त शर्तों को भलीभांति पढ़कर, समझकर, सुनकर बिना दबाव के हस्ताक्षर किये है उक्त शर्ते मुझे पूर्णतया स्वीकार है। श्रीमान कार्यकारी निदेशक (विधि) महोदय के कार्यालय आदेश कमांक 783 दिनांक 03.05.2024 दिए गए निर्देशानुसार उवत्त अनुबन्ध की शर्तो में Dispute Resolution Arbitration Clause को भी निम्नानुसार शामिल किया जाता है:-

Resolution: dispute or 40 Dispute Any difference whatsoever the parties out of or between relating to the arising meaning, scope, operation effect of this or construction, or the validity or the breach thereof, shall, in the resolved by referring such dispute first instance, be constituted Standing Committee difference to the Rajasthan State Road Transport Corporation's office order No. HO/Law/Gen/ 17/781 dated 03.10.2017. The Standing Committee so constituted shall ensure full compliance with the office order referred to above.

41 Any dispute/objection regarding the conditions mentioned in all the tenders/contracts/agreements issued by the Corporation shall be filed in the competent court located in jaipur.

मैं उपरोक्त शर्तों को पढ़कर, समझकर,सुनकर मैने हस्ताक्षर किये है। उक्त शर्ते मुझे मुझे पूर्णतया स्वीकार है।

(निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम



कार्यालय मुख्य प्रबन्धक, केन्द्रीय बस स्टैण्ड,जयपुर।

घोषणा-पत्र